न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्रीमती कुन्तल विश्नोई
2. प्रकरण संख्या : 10/2024

उनवान : ग्राम पंचायत हिंगोनियाँ, पंचायत समिति जोबनेर, तहसील जोबनेर, जिला जयपुर जरिये ग्राम विकास अधिकारी।

–निगरानीकार

बनाम

मनीष कुमार अग्रवाल पुत्र श्रीपाल अग्रवाल, निवासी– ग्राम हिंगोनिया तहसील जोबनेर, जिला जयपुर।

– गैरनिगरानीकार

3. प्रकरण संख्या : 15/2024

उनवान : रामावतार शर्मा पुत्र स्वर्गीय श्री ओंकार मल उर्फ उंकार मल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम हिंगोनिया जिला जयपुर ग्रामीण हाल निवासी 111/419 अग्रवाल फार्म मानसरोवर जयपुर।

–निगरानीकार

बनाम

1. श्री मनीष अग्रवाल पुत्र श्रीपाल अग्रवाल जाति महाजन निवासी– ग्राम हिंगोनिया तहसील जोबनेर, जिला जयपुर ग्रामीण।
2. ग्राम पंचायत हिंगोनियाँ, तहसील जोबनेर, जिला जयपुर ग्रामीण, जरिए सरपंच।
3. ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत हिंगोनिया पंचायत समिति जोबनेर तहसील जोबनेर जिला जयपुर।

– गैरनिगरानीकार

4. निर्णय दिनांक : 28/01/2025
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) अधिवक्ता श्री रतन लाल गौड निगरानीकार की ओर से एवं अधिवक्ता श्री मदन लाल कुडी निगरानीकार ग्राम पंचायत हिंगोनिया की ओर से।

ब) अधिवक्ता श्री प्रभुसिंह राजावत गैर निगरानीकार की ओर से।

निर्णय

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायत राज अधिनियम 1994

इस न्यायालय में विचाराधीन निगरानी संख्या 10/2024 एवं 15/2024 ग्राम पंचायत हिंगोनिया द्वारा संकल्प संख्या 4 (3) दिनांक 20.08.2009 की पालना में जारी पट्टा संख्या 32 दिनांक 20.08.2009 के विरूद्ध विचाराधीन है। उक्त दोनों निगरानीयों का मुख्य विवाद्यक बिन्दु समान होने के कारण दोनों पत्रावलियों का निर्णय एक साथ किया जा रहा है।

निगरानीकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि गैर निगरानीकार मनीष अग्रवाल ने दिनांक 22-09-2008 को ग्राम पंचायत हिंगोनियाँ में पट्टा

अतिरिक्त, जिला कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

देने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया। ग्राम पंचायत की आदेशिका दिनांक 25–8–2009 (25-09-2008) पर कटिंग कर तारीख लिखी गई है, पत्रावली दिनांक 20–10–2008 को पेश होने के लिए आदेश दिया गया। प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र में निर्मित मकानों को 100–150 वर्ष पुराने बताया है जबकि स्वयं पंचायत ने निर्मित मकान 60 वर्ष पुराने माने हैं। कानून का सामान्य नियम है कि किसी संपत्ति का मालिकाना हक अन्य के नाम हो जैसा कि इसी प्रकरण से संबंधित पट्टा संख्या– 33 में श्रीपाल अग्रवाल ने शपथ पूर्वक यह कथन किया है तथा यह भी अंकित किया है कि यह संपत्ति उसके पास बंटवारे में आई हुई है। ऐसी स्थिति में विवादित संपत्ति पर प्रार्थी एवं उसकी पत्नी संजू देवी का कोई हक अधिकार नहीं था। प्रार्थी के पिता श्रीपाल अग्रवाल ने ग्राम पंचायत की पत्रावली पट्टा संख्या– 33 जिसमें प्रार्थी की पत्नी श्रीमती संजू देवी के नाम पट्टा जारी किया गया है, में शपथ पत्र पेश कर यह अंकित किया है कि दोनों पट्टों संख्या 32 व 33 की संपत्ति मेरे पूर्वजों के खंडहर मकान का निर्माण अनुसार पट्टा बनाकर दिया जावे। ग्राम पंचायत में श्रीपाल अग्रवाल के शपथ पत्र को सही मानकर फैसले के अंत में इबारत भी जोड़ी है कि "पत्रावली नंबर से कम होकर कागजात दफ्तर दाखिल हो। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र अनुसार परिवार का कोई भी हकदार शेष रह गया है तो इस भूखंड के पट्टे का हकदार होगा।" यह इबारत बाद में जोड़ी हुई लगती है क्योंकि यह इबारत पत्रावली दाखिल दफ्तर होने की अंतिम लाइन के बाद जोड़ी गई है। जब ग्राम पंचायत के समक्ष यह स्पष्ट आ गया कि जिस मकान का पट्टा जारी किया गया वह बंटवारे में आई हुई संपत्ति है, तो ऐसी स्थिति में पंचायत को बंटवारा नामा रिकॉर्ड पर लेकर उसके वास्तविक तथ्यों की जानकारी करके ही और विधिक हिस्सेदरों के हक त्याग संबधित विधिक दस्तावेज प्राप्त करके परीक्षण करके ही कोई आदेश पारित करना चाहिए था। पट्टा संख्या 33 में श्रीपाल का शपथ पत्र ही दिनांक 1 दिसंबर 2009 के बाद का है तो उस शपथ पत्र के आधार पर पंचायत ने दिनाक 20 अक्टूबर 2009 को ही वह इबारत कैसे लिख दी। ग्राम पंचायत हिंगोनिया ने भाई बन्धुओं के बंटवारे के मकानात का पट्टा संख्या–33 श्रीमती संजू देवी पत्नी मनीष कुमार एवं पट्टा संख्या– 32 मनीष कुमार पुत्र श्रीपाल अग्रवाल अर्थात पति पत्नी के नाम से जारी किया है, दोनो पट्टों में ही ग्राम पंचायत हिंगोनिया ने आदेश पारित किये हैं। इस प्रकार अग्रवालों की हवेली के अनेक मालिक थे और उनके वंशजों के इस हवेली एवं भूमि पर हक ग्राम पंचायत के रिकार्ड के अनुसार साबित हैं। गैरनिगरानीकार पक्ष के श्री मनीष अग्रवाल ने द्वैषी भावना से प्रार्थी/निगरानीकार के पिता श्री ओंकारमल के नाम से 70 साल पहले जारी किये गये पट्टे को निरस्त कराने के लिए न्यायालयए. डी. एम. प्रथम जयपुर की अदालत में निगरानी संख्या–240/2022 प्रस्तुत की गयी थी। गैरनिगरानीकार पक्ष की उक्त निगरानी को न्यायालय द्वारा दिनांक 22 फरवरी 2024 को सारहीन होने से खारीज कर दिया गया है। सरवर्क में दर्ज विवरण अनुसार दायर दिनांक 20-08-2009 जबकि फैसला फार्म में ग्रा. पं का निर्णय दिनाक 20-10-2009 अंकित है जो विरोधाभासी है। पंचों की निरीक्षण रिपोर्ट में पंचों ने स्वयं का कोई नक्शा नहीं बनाया, जिससे मौके की सही नाप जोक नहीं आ सकी। लेकिन चबूतरे दर्शाई गई भूमि जो सरकारी चौक व आम रास्ते की थी, का पट्टा जारी नहीं किया गया। मौका रिपोर्ट अनाधिकृत व्यक्तियों द्वारा की गई है। लेकिन गैर निगरानीकार पक्ष द्वारा मिली भगत करके नियुक्त पंचायत आदेश के विरुद्ध जाकर अपने हितबद्ध और मिलने वाले लोगों से मौका रिपोर्ट कराई गयी है। ग्राम पंचायत द्वारा तय पंचगण मौका रिपोर्ट पर हस्ताक्षर वाले पंचगण नहीं हैं। ग्राम पंचायत द्वारा 6 पंचगण का मौका कमीशन रिपोर्ट देने हेतु बनाया गया था जबकि उक्त मौका कमीशन में तय किये गये पंचगणों में से केवल दो के ही हस्ताक्षर हैं और श्री गोमा राम नये पंच के हस्ताक्षर है जो पंचायत के आदेश से भिन्न

पंच के रूप में किये हुए हैं। उक्त कार्यवाही का ग्राम पंचायत की बैठक में बाद में भी कभी भी अनुमोदन नहीं किया गया है। नारायण शर्मा के हस्ताक्षर संजू देवी व मनीष अग्रवाल की निरीक्षण रिपोर्ट में अलग अलग किये हुऐ प्रगट होते है। मौका रिपोर्ट में ग्राम पंचायत व पंचायत समिति का नाम, कोई दिनांक व समय, मौका मुआयना करने वाले किसी भी पंच का नाम आदि अंकित नहीं है और बी.डी.ओ. का नाम, तिथि व हस्ताक्षर भी अंकित नहीं है। कमीशन की मौका रिपोर्ट में संदर्भित भूमि की बिक्री पंचायत द्वारा करने अथवा नहीं करने की कोई अनुशंषा अंकित नहीं है। आपत्ति नोटिस पर कोई क्रमाक अंकित नहीं है। उक्त पट्टे के संदर्भ में निगरानीकर्ता की ओर से प्रस्तुत की गई शिकायत पर शासन सचिव एवं आयुक्त पंचायतीराज विभाग के द्वारा जांच दल का गठन किया जाकर जांच करवाई गई। जांच दल एवं शासन सचिव पंचायतीराज विभाग द्वारा सभी दस्तावेजों के परीक्षण उपरांत राज्य सरकार द्वारा सक्षम स्तर पर निर्णय लेकर आदेश दिनांक 22-02-2024 द्वारा निगरानीधीन पट्टा सहित गैरनिगरानीकार पक्ष द्वारा इसी प्रकार से जारी करवाये गये कुल चार पट्टे निरस्त करने के आदेश जारी किये हुए हैं।

अन्त में निवेदन किया गया है कि पट्टा संख्या– 32 निर्णय दिनांक 20/08/2009 व इससे संबंधित सम्पूर्ण आदेश कार्यवाही निरस्त फरमावें।

निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 में अंकित है कि निगरानीधीन आदेश व पट्टा की नकल के लिए आवेदन प्रार्थी ने गैरनिगरानीकार सख्या 3 के समक्ष पूर्व में ही प्रस्ततु कर दिया था, परन्तु ग्राम पचायत हिंगोनिया के लोक सूचना अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी ने प्रार्थी को सपूर्ण नकल नहीं दी। प्रार्थी द्वारा दिनाक 20–09–2023 आयुक्त एवं शासन सचिव, पचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर में शिकायत प्रस्तुत की गई। आयुक्त एव शासन सचिव, पंचायती राज विभाग द्वारा गठित जांच दल ने पूर्ण जांच करके प्रार्थी की शिकायत को सही माना और निगरानीधीन पट्टा को शून्य एव अवैध मानकर आदेश दिनांक 22–2–2024 के माध्यम से कार्यवाही की गई है, जिसमें निगरानीधीन पट्टे को भी खारिज करवाये जाने के लिए आदेश दिए गये। प्रार्थी को अंतिम बार दिनांक 03–05–2024 को पूर्ण सूचनाएं सूचना के अधिकार के तहत लोक सूचना अधिकारी ग्राम पंचायत हिंगोनिया द्वारा उपलब्ध कराई गई, जिसकी पूर्ण जानकारी होने पर निर्णय व पट्टा की जानकारी की दिनांक 03–05– 2024 से भी निगरानी अन्दर मियाद प्रस्तुत है। निगरानीधीन आदेश अधीनस्थ ग्राम पंचायत हिंगोनिया द्वारा नियम विरूद्ध और बिना क्षेत्राधिकार के है, जो शून्य है तथा कानून के विरूद्ध है. इस प्रकार के आदेश के विरूद्ध निगरानी की कोई मियाद नहीं होती है। वैसे भी विधि विरुद्ध आदेशों के विरुद्ध मियाद का बिन्दू लागू नहीं होता है, क्योंकि निगरानीधीन आदेश व पट्टा प्रथम द्रष्टा ही शून्य है। अन्त में निगरानी प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा करने का निवेदन किया है।

निगरानी के संलग्न निगरानीकार ने निगरानीधीन पट्टा संख्या 32 की प्रमाणित प्रति व अन्य संबंधित दस्तावेजात की प्रति पेश की है।

निगरानी प्रस्तुत होने पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई तथा नोटिस तलबी गैरनिगरानीकार जारी किये गये तथा मूल रिकोर्ड मंगवाया गया। गैर निगरानीकार संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री प्रभु सिंह राजावत ने वकालतनाम पेश किया।

गैरनिगरानीकार संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र धारा 5 में अंकित किया है कि ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा दिनाक 18.01.2024 को जांच कमेटी के जांच प्रतिवेदन अनुसार है कि मनीष कुमार अग्रवाल व रामावतार शर्मा के बीच

अतिरिक्त जिला कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

मौके पर ही दोनों के पुश्तैनी मकानों के बीच दीवार को लेकर विवाद है। जांच कमेटी ने अपने जांच प्रतिवेदन के मद संख्या 5 में लिखा है कि श्री रामावतार शर्मा द्वारा लिखित उपलब्ध करवाये गये प्रश्नों के अनुसार ही संवाल जवाब व बयान लिये जाने हेतु जांच कमेटी को मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है। श्री रामावतार शर्मा द्वारा बार–बार जांच कमेटी पर पक्ष में जांच किये जाने हेतु अनुचित दबाव व हस्तक्षेप किया गया। श्री रामावतार शर्मा राजकीय लेखा सेवा के वरिष्ठ अधिकारी है, जिनके द्वारा ऐसा करना खेद का विषय होना अंकित किया है। उक्त सभी तथ्यों के मद्देनजर निगरानीकार द्वारा झूठी निगरानी, झूठे तथ्यों पर प्रस्तुत की गई है। मिन जबाबदाता विपक्षी संख्या–1 का पडोसी रामावतार शर्मा ने अपने दबाव में झूठी रिपोर्ट बनवाकर उक्त रिपोर्टों के आधार पर बिना किसी कानूनी तथ्य के निगरानी पेश की है। जो 15 वर्ष से अधिक के विलम्ब से निगरानी प्रस्तुत की है। जिसके बाबत माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी. सिविल रिट पीटिशन संख्या– 13197 निर्णय दिनांक 16.11.2015 में पारित निर्णय अनुसार असामान्य विलम्ब से प्रस्तुत निगरानी ग्रहण नहीं की जा सकती। निगरानीकार ने ऐसा कोई तथ्य या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है. जिससे यह प्रमाणित हो कि उक्त पट्टे की भूमि पर विपक्षी मनीष कुमार अग्रवाल का कब्जा ना हो। जबकि वास्तविक स्थिति यह है कि उक्त पट्टे की भूमि पर पिछले 500 वर्षो से पूर्वजों की आवासीय पैतृक हवेली बनी हुई है। जिसमें विपक्षी मनीष कुमार अग्रवाल परिवार सहित निवास कर रहा है। ऐसे कोई तथ्य या परिस्थितिया पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है कि निगराकार को उक्त पट्टे की जानकारी नहीं रही हो। क्योंकि, निगरानीधीन पट्टा विधिक प्रक्रिया अपनाकर जारी किया गया था। जिसकी जानकारी नहीं होने का तथ्य गलत है। उक्त विलम्ब क्षमा किये जाने योग्य नहीं है। जिससे प्रार्थी/निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम 1963 विधिक प्रावधानों के विपरित प्रस्तुत्त होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अन्त में निवेदन किया गया है कि विपक्षी/गैर निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत तथ्यों व कानूनी बिन्दुओं के आधार पर निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम 1963 खारिज किया जाकर मूल अपील को मियाद बाहर होने से खारिज की जावें।

पत्रावली वास्ते बहस नीयत की गयी। निगरानीकार रामावतार शर्मा की ओर से जरिये अधिवक्ता लिखित बहस प्रस्तुत की गयी, जिसमें अंकित किया गया है कि दिनांक 29.08.2019 को गैरनिगरानीकार संख्या–1 ने पट्टा बनवाने बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया कि इस पैतृक मकान को लेकर या इसकी चतुर्थ सीमाओं को लेकर किसी भी न्यायालय में वाद प्रस्तुत नहीं है एवं न ही कोई वाद लंबित है। उक्त पैतृक मकान ग्राम पंचायत की आबादी भूमि में स्थित है, जिसका आराजी खसरा नंबर एवं रकबा तथा आबादी का रिकॉर्ड की जगह खाली छोड़ी गई है। उक्त पट्टे के संदर्भ में रामअवतार शर्मा की ओर से प्रस्तुत की गई शिकायत पर शासन सचिव एवं आयुक्त पचायतीराज विभाग के द्वारा जाच दल का गठन कर जांच उपरान्त राज्य सरकार द्वारा सक्षम स्तर पर निर्णय लेकर आदेश कमांक एफ4 पट्टा जांच/विधि/ /प राज 2023 दिनांक 22.02.2024 द्वारा निगरानीधीन पट्टा सहित गैरनिगरानीकार पक्ष द्वारा इसी प्रकार से ग्राम पंचायत हिंगोनियों से जारी करवाये गये कुल चार पट्टे निरस्त कराने के आदेश जारी किये हुए हैं। जिसकी पालना में ग्राम पंचायत हिंगोनियाँ द्वारा भी चार निगरानियों प्रस्तुत की हुई हैं। ग्राम पचायत हिंगोनिया ने बयान के प्रोफार्मा को खाली छोड़ा है तथा मात्र हस्ताक्षर कराए हुए हैं। इसी प्रकार से उक्त बयान फॉर्म के दूसरे पृष्ठ पर भी खाली पृष्ठ पर हस्ताक्षर अंकित है। गैरनिगरानीकार संख्या–1 की पट्टा पत्रावली में कार्यालय पटवार मंडल हिंगोनिया तहसील

अतिरिक्त, जिला कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

रेनवाल जिला जयपुर का "किस्म भूमि का प्रमाण पत्र" का दस्तावेज लगाया हुआ है, जिस पर पटवारी या अन्य किसी भी सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर, कार्यालय की मोहर जारी करने की तिथि आदि अंकित नहीं है। जिन सदस्यों का अनापत्ति प्रमाण पत्र है, वे अजमेर के निवासी हैं। इकरारनामा दिनांक 16/7/2001 से जाहिर है कि विवादित संपत्ति संजू देवी की पैतृक संपत्ति नहीं है। व्यवसायिक संपत्ति को आवासीय बताकर पट्टा जारी किया है, जिससे ग्राम पंचायत हिंगोनिया को भी आर्थिक नुकसान हुआ है एवं राजस्थान सरकार को जो स्टैंप ड्यूटी मिलती उससे भी वंचित रखा गया है। निगरानीधीन निर्णय पारित करने से पूर्व मिसल दिनांक जो दिनांक 29/8/2019 को आदेशिका लिखी गई के उपरान्त द्वितीय आदेशिका मिथ्या तथ्यों पर वास्तविक तथ्यों को छुपाकर कौनसी दिनाक को लिखी गई कोई आदेशिका पर दिनांक अंकित नहीं है। ऐसी स्थिति में उक्त जारी पट्टा मनमर्जी प्रक्रिया अपनाकर विधि को ताक में रखते हुये जारी किया गया है जो विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं। पंचायती नोटिस का सार्वजनिक प्रकाशन नहीं किया गया तथा ना ही सार्वजनिक स्थान पर चस्पांदगी की गई, आपत्ति नोटिस पर कोई डिस्पेच संख्या या नोटिस जारी करने की दिनांक अंकित नहीं है। जब आपत्ति नोटिस ग्राम पंचायत कार्यालय से डिस्पेच होकर जारी ही नहीं किया गया तो इसकी चस्पांदगी कार्यवाही संभव ही नहीं हैं। दिनांक 29/8/2019 की आदेशिका के बाद अग्रिम आदेशिका कौनसी दिनांक को लिखी गई तथा कौनसी दिनांक को पंच कमिशन रिपोर्ट बाबत् स्थल निरीक्षण के बाबत पंचो की कमेटी गठित की गई। आदेशिकाओं का भी कोई कम व दिनांक आदि नहीं है। आदेश व पट्टा गैरकानूनी व अवैध है जिसके लिए कोई मियाद नहीं होती है। इसके बावजूद भी निगरानीधीन आदेश व पट्टा की नकल के लिए आवेदन प्रार्थी ने पूर्व में ही प्रस्ततु कर दिया था, परन्तु ग्राम पंचायत हिंगोनिया के लोक सूचना अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी ने प्रार्थी को संपूर्ण नकल नहीं दी और टालम टोल करते रहे। प्रार्थी/निगरानीकार को ग्राम पंयायत हिंगोनिया द्वारा न तो नकल दी गई न ही कोई कार्यवाही की गई। ऐसी स्थिति में निगरानीकार द्वारा दिनांक 20–09– 2023 को आयुक्त एवं शासन सचिव पंचायती राज विभाग में शिकायत प्रस्तुत की गई। जिसकी गठित दल ने पूर्ण जांच करके प्रार्थी की शिकायत को सही माना और निगरानीधीन पट्टा को शून्य एवं अवैध मानकर आदेश दिनांक 22–2–2024 के माध्यम से कार्यवाही की, जिसमें निगरानीधीन पट्टे को भी खारीज करवाये जाने के लिए आदेश दिए गये। राजस्थान पंचायत राज अधिनियम में लेजिसलेसन ने मियाद का कोई प्रावधान नहीं रखा है। अतः पट्टा संख्या 32 दिनांक 20.10.2009 को निरस्त फरमाया जावे।

अधिवक्ता ने अपनी बहस के समर्थन में मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर की S.B. Civil Writ Petition No. 1688/83 चिमन लाल बनाम राजस्थान सरकार व अन्य के न्यायिक दृष्टांत का उल्लेख किया है।

विद्वान अधिवक्ता निगरानीकार ग्राम पंचायत हिंगोनिया ने दौराने बहस कथन किया कि निगरानीधीन पट्टें से संबंन्धित मिसल आवेदन दिनांक 22.08.2009 को प्रस्ताव संख्या 4 द्वारा पत्रावली कायम कर आदेशिका लिखी गई। उक्त दिनांक को पट्टा जारी करना अंकित है तथा फैसला दिनांक पट्टा जारी करने के बाद दिनांक 20.10.2009 अंकित है। उक्त पट्टा नियम 157 (1) के तहत निगरानीकार द्वारा 175.27 वर्गगज का चाहा गया। जबकि गैरनिगरानीकार द्वारा वांछित क्षेत्रफल से अधिक का पट्टा जारी कर दिया गया। निरीक्षक रिपोर्ट एवं नोटिस मय क्रमांक एवं दिनांक अंकित नही है। पट्टा दिनांक 20.08.2009 को ही जारी किया चुका था तथा शुल्क राशि दिनांक 15.12.2009 को लिया गया। पट्टे के संबंध में शिकायत शासन सचिव एवं आयुक्त पंचायतराज विभाग की जॉच

अतिरिक्त, जिला कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

में जांच दल द्वारा निगरानीधीन पट्टा निरस्त करने हेतु लिखा गया। अतः निगरानीधीन पट्टा खारिज फरमावें जावे।

विद्वान अधिवक्ता गैरनिगरानीकार ने दौराने बहस कथन किया कि ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा दिनाक 18.01.2024 को जांच कमेटी के जांच प्रतिवेदन अनुसार मनीष कुमार अग्रवाल व रामावतार शर्मा के बीच मौके पर ही दोनों के पुश्तैनी मकानों के बीच दीवार को लेकर विवाद है। जांच कमेटी ने जांच प्रतिवेदन में लिखा है कि श्री रामावतार शर्मा द्वारा लिखित उपलब्ध करवाये गये प्रश्नों के अनुसार ही सवाल जवाब व बयान लिये जाने हेतु जांच कमेटी को मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है। रामावतार शर्मा द्वारा बार–बार जांच कमेटी पर पक्ष में जांच किये जाने हेतु अनुचित दबाव व हस्तक्षेप किया गया। निगरानीकार द्वारा झूठी निगरानी, झूठे तथ्यों पर प्रस्तुत की गई है। 15 वर्ष से अधिक के विलम्ब से निगरानी प्रस्तुत की है। निगरानीकार ने ऐसा कोई तथ्य या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है. जिससे यह प्रमाणित हो कि उक्त पट्टे की भूमि पर विपक्षी मनीष कुमार अग्रवाल का कब्जा ना हो तथा ऐसा कोई तथ्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है कि पूर्व में निगराकार को उक्त पट्टे की जानकारी नहीं रही हो। उक्त पट्टे की भूमि पर पिछले 500 वर्षो से पूर्वजों की आवासीय पैतृक हवेली बनी हुई है। जिसमें विपक्षी मनीष कुमार अग्रवाल अपने परिवार सहित निवास कर रहा है। उक्त विलम्ब क्षमा किये जाने योग्य नहीं है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी. सिविल रिट पीटिशन संख्या– 13197 निर्णय दिनांक 16.11.2015 में पारित निर्णय अनुसार असामान्य विलम्ब से प्रस्तुत निगरानी ग्रहण नहीं की जा सकती। अतः प्रार्थी/निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम 1963 विधिक प्रावधानों के विपरित प्रस्तुत होने से खारिज किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम मियाद के बिन्दू पर राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की धारा 97 में परिसीमा हेतु प्रावधान नहीं हैं। तदानुसार निगरानीकार द्वारा निगरानी प्रस्तुतीकरण में विलम्ब को कण्डोन किये जाने योग्य है।

हस्तगत निगरानीयां ग्राम पंचायत हिंगोनिया द्वारा जारी पट्टा संख्या 32 दिनांक 20.08.2009 के विरूद्ध विचाराधीन है। मूल पट्टा पत्रावली में निगरानीधीन पट्टा प्राप्त करने हेतु आवेदन दिनांक 22/09/2008 को ग्राम पंचायत के समक्ष पेश किया गया किन्तु पट्टा कार्यवाही लगभग 11 माह बाद दिनांक 20/08/2009 से प्रारम्भ हुई। आवेदन प्राप्त होने के 11 माह बाद कार्यवाही प्रारम्भ होना संदेहास्पद है। सरवर्क सूची कागजात में फैसला दिनांक 20.08.2009 तथा प्रस्ताव संख्या 4(3) अंकित है जबकि फैसला फॉर्म में दिनांक 20.10.2009 तथा प्रस्ताव संख्या 6 अंकित है, जो विरोधाभासी एवं विधिविरुद्ध है। ग्राम पंचायत द्वारा 6 पंचगण को मौका रिपोर्ट हेतु नियुक्त किया गया था किन्तु नियुक्तशुदा पंचगणों में से केवल 2 पंचगणों के ही हस्ताक्षर है तथा एक अन्य पंच गोमाराम के हस्ताक्षर है, जो पंचायत के आदेश से भिन्न पंच है। साथ ही मौका रिपोर्ट में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, दिनांक, समय आदि का अभाव है। रिपोर्ट केवल छपा हुआ निर्धारित प्रपत्र है, जिसमें मौके की रिपोर्ट भी नहीं है। अतः मौका रिपोर्ट भी संदिग्ध प्रतीत होती है। आपत्ति नोटिस में भी क्रमांक अंकित नहीं है अर्थात नोटिस ग्राम पंचायत कार्यालय से जारी ही नहीं किया गया, जो राजस्थान पंचायती राज नियम 1956 की धारा 148 का स्पष्ट उल्लंघन है। पट्टा पत्रावली के फैसला फॉर्म पर कार्यवाही विवरण के अन्त में पत्रावली दफ्तर दाखिल होना अंकित है। तत्पश्चात "प्रार्थी द्वारा शपथ पत्र देय आधार पर अपना स्वयं का मालिकाना शपथ पत्र पेश किया। अगर परिवार का कोई भी

अतिरिक्त, जिला कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

हकदार है तो भूखण्ड के हिस्से पर हकदार रहेगा।" उक्त का अंकन भी भिन्न स्याही से किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि पत्रावली पर दफ्तर दाखिल किए जाने के पश्चात उक्त तथ्य जोडा गया है। अतः पत्रावली पर दफ्तर दाखिल किए जाने के पश्चात उक्त तथ्य जोडा गया है। मूल पत्रावली में आज्ञायों की सूची में श्रीपाल अग्रवाल द्वारा शपथ पत्र पेश करना अंकित किया है। इससे यह सिद्ध होता है प्रार्थी के पिता श्रीपाल जीवित थे। मूल पट्टे के पीछे जो नक्शा अंकित है, उसमें सबंधित भूमि से लगते हुए जो भूमि किस्म दर्शायी गयी है, उसमें कांटछाट की गई है जो संदेहास्पद है। साथ ही भूखण्ड का नाप आवेदन अनुसार सही नहीं है। पंचायती राज अधिनियम में आवासीय पट्टा 300 वर्गगज से अधिक भूमि का जारी नहीं किया जा सकता। आवेदित भूमि का शेष भूखण्ड में एक पट्टा संजू देवी के नाम पृथक से जारी किया गया है जबकि यह एक ही भूखण्ड तथा भवन है। इसी कारण अनुचित लाभ पहुंचाने हेतु ग्राम पंचायत द्वारा आवासीय पट्टे पृथक–पृथक समय टुकडो में जारी किये गये है। साथ ही यदि पैतृक भूमि कब्जे मे रही है तो ग्राम पंचायत द्वारा वारिसान की जांच की जानी चाहिए। उक्त भूमि को पैतृक बताकर पट्टा चाहा गया। श्रीपाल अग्रवाल के मकान के सन्दर्भ में ग्राम पंचायत हिंगोनिया को वारिसान की पूर्ण जॉच पश्चात् योग्य वारिस को ही पट्टा दिया जाना विधि अनुरूप था। जबके तम्समय आवेदक का पिता श्रीपाल जीवित था। अतः ग्राम पंचायत द्वारा बिना विधिक वारिसान की जांच किये ही निगरानीधीन पट्टा जारी कर दिया गया। साथ ही पट्टा सरवर्क आज्ञा में दिनांक में कांट–छांट की गई है, जिससे सम्पूर्ण पट्टा कार्यवाही संदेहास्पद है और विंधिविरूद्ध प्रतीत होती है। जांच रिपोर्ट में भी निगरानीधीन पट्टा नियम विरूद्ध पाया जाना जाहिर है। अतः निगरानीधीन पट्टा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की नियमों की अवहेलना कर विधि विरूद्ध जारी होने के कारण निरस्तनीय है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर ग्राम पंचायत हिंगोनिया द्वारा जारी पट्टा संख्या 32 दिनांक 20/08/2009 (20.10.2009) को खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 28/01/2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर दर्ज नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील तरतीब दाखिल दफ्तर हो।

Court of the Addl. Collector & Adv. District Magistrate-III • JAIPUR •

(कुन्तल विश्नोई)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर।